रजिस्ट्री सं° डी° एल°-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 2000/अग्रहायण 8, 1922
No. 271] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2000/AGRAHAYANA 8, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2000

अंतिम निष्कर्ष

विषय : चीन जनवादी गणराज्य से 8 हाइड्रोक्सी क्वीनोलीन (8 एच क्यू) के आयात के बारे में पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा—अंतिम निष्कर्ष

एडीडी/आई डब्ल्यू/36/95-96.—सन् 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसकी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए :

क. प्रक्रिया

1. नीचे दी गई प्रक्रिया अपनाई गई है:-

i. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी भी कहा गया है) ने दिनांक 30 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना सं. एडीडी/आईडब्ल्यू/36/95-96 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जो चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित 8 हाइड्राक्सी क्वीनोलीन के आयातों पर दिनांक 28 फरवरी, 1997 की अधिसूचना सं. एडीडी/आई डब्ल्यू/36/95-96 द्वारा संस्तुत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क और दिनांक 1अप्रैल,1997 की अधिसूचना सं. 27 के जरिए केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा शुरू करने के बारे में थी ।

ii. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 1997 की अधिसूचना सं. एडीडी/आई डब्ल्यू/36/95-96 द्वारा संपन्न जांचों को "पूर्ववर्ती जांच " कहा गया है ।

iii. 30 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची-। के सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं0 2933.40.04 के अंतर्गत वर्गीकृत 8 हाइड्रोक्सी क्वीनोलीन के आयात के बारे में पाटन रोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा शुरू की गई थी ।

iv. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात निर्यातकों और उद्योग संगठनों (जिनके ब्यौर पूर्ववर्ती जांच में घरेलू उद्योग मैसर्स वेस्ट बंगाल फार्मास्यूटिकल फाइटो कैमिकल डवलपमेंट कारपोरेशन लि., कलकत्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को सार्वजनिक सूचना की प्रति अग्रेषित की थी और उन्हें नियम 6(4) के अनुसार लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर दिया था ।

v. प्राधिकारी ने भारत में 8 हाइड्रोक्सी क्वीनोलीन के सभी ज्ञात आयातकों और उपभोक्ताओं (जिनके ब्यौरे मैसर्स वेस्ट बंगाल फार्मास्यूटिकल फाइटोकैमिकल डवलपमेंट कारपोरेशन लि., कलकत्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अग्रेषित की थी और उन्हें पत्र के जारी होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर प्रदान किया था ।

vi. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एण्ड एस), कलकत्ता से अनुरोध किया गया था कि वे समीक्षा अवधि के दौरान भारत में 8 हाइड्रोक्सी क्वीनोलीन के आयातों के ब्यौरे प्रदान करने की व्यवस्था करें ।

vii. प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में 8 हाइड्रोक्सी क्वीनोलीन के निम्नलिखित ज्ञात विनिर्माताओं/निर्यातकों को एक प्रश्नावली भेजी थी;

- मैसर्स सिनोकैम जियांग्सू इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन, शोधी, एमएच-रोड, नियांजिंग, चीन
- मैसर्स चाइना नेशनल कैमिकल कंस्ट्रक्शन जियांग कम्पनी, बीजिंग रोड, नैंजिंग, चीन

viii. नियम 6(2) के अनुसार नई दिल्ली स्थित चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को इस अनुरोध के साथ समीक्षा शुरू करने के बारे में सूचित किया गया था कि वह निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दे । ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की एक सूची समेत निर्यातकों को दूतावास को भेजे गए पत्र एवं प्रश्नावली की एक प्रति भी दूतावास को भेजी गयी थी तथापि, किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने कोई उत्तर दायर नहीं किया था ।

ix. भारत में 8 हाईडोक्सी क्वीनोलीन के निम्नलिखित आयातकों और अथवा उपभोक्ताओं को एक प्रश्नावली भेजी गई थी जिसमें नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगी गई थी:-

- मैसर्स बजाज हैल्थ केयर प्रा. लि.,
14/15 फाई ई-एडरोज प्रथम तल 371/373
नर्शी नाथ स्ट्रीट, मुम्बई - 400 009

- मैसर्स जी. एम्फर लेबोरेटरीज
सम्बावा चैम्बर्स

चौथा तल, सिए पी. एम. रोड, मुम्बई - 400 001

- मैसर्स साल्वि कैमिकल इंडस्ट्रीज
  108-बी अशोक टावर
  कुलुपवाडी रोड, बोरीविली (ई), मुम्बई - 400 066

- मैसर्स वेटकेयर एलीटेक प्रा लि
  सं. 90, तीसरा क्रास, दूसरा मेन गंगानगर लेआउट
  बंग्लौर - 560 032

x. मैसर्स वेस्ट बंगाल फार्मास्यूटीकल फाइटो-कैमिकल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., कलकत्ता (वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग) को आवश्यक सूचना मांगते हुए एक प्रश्नावली भेजी गई थी । लेकिन मै. वेस्टबंगाल फार्मास्यूटिकल फाइटो कैमिकल डिव. कापो. लि. कलकत्ता दायर करने में असफल रही ।

xi. प्राधिकारी ने मौखिक रूप से विचार सुनने के लिए 8.8.2000 को सार्वजनिक सुनवाई की थी जिसमें केवल मैसर्स वेटकेयर आर्गेनिक्स लि., बंगलौर ने भाग लिया था । नियम 6(6) के अनुसार जिन पार्टियों ने इस सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया था, उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों को लिखित में दायर करें । मैं. वेटकेयर आर्गेनिक्स लि.; बंगलौर से लिखित अनुरोध प्राप्त हो गया है ।

xii. यह जांच 1 अप्रैल, 99 से 31 दिसम्बर, 1999 की अवधि के लिए की गयी थी ।

xiii. उपरोक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों/आधार को सभी ज्ञात हितबद्ध पार्टियों के समक्ष खुलासा किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों में विधिवत विचार किया गया है ।

(ख) विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उद्योग और समान वस्तुएं

2. विचाराधीन उत्पाद, घरेलू उद्योग और समान वस्तुओं के बारे में पूर्ववर्ती जांच में अधिसूचित निष्कर्ष अपरिवर्तनीय रहते हैं ।

(ग) पाटन, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन, उत्तराई मूल्य इत्यादि

3. (i) प्राधिकारी ने धारा-9क (I) ग के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ 8 हाइड्रोक्सी क्वीनोलीन के ज्ञात निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी गई थी । तथापि, किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को जवाब नहीं दिया । अतः प्राधिकारी का यह मानना है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों ने नियमानुसार प्राधिकारी को सहयोग प्रदान नहीं किया है । प्राधिकारी का यह भी मानना है कि चीन जनवादी गणराज्य में 8 हाईड्राक्सी क्वीनोलीन का सामान्य मूल्य की पुष्टि करने की प्राथमिक जिम्मेदारी उन निर्यातकों/उत्पादकों की है जो प्राधिकारी को सहयोग देने में असफल रहे हैं ।

(ii) प्राधिकारी ने 8 हाईड्राक्सी क्वीनोलीन के ज्ञात आयातकों को भी आयातक प्रश्नावली भेजी थी । तथापि, किसी भी आयातक ने प्राधिकारी को कोई उत्तर नहीं दिया । तदनुसार, प्राधिकारी का यह मानना है कि 8 हाईड्राक्सी क्वीनोलीन के आयातकों ने भी प्राधिकारी को सहयोग नहीं दिया है और उन्होंने कोई सूचना नहीं दी है ।

(iii) मैसर्स वेस्ट बंगाल फार्मास्यूटीकल फाइटोकैमिकल डेवेलपमैंट कारपोरेशन लि., कलकत्ता, जो घरेलू उद्योग है, ने भी उन्हें भेजी गई प्रश्नावली का कोई जवाब दायर नहीं किया ।

(iv) इस प्रकार, किसी भी हितबद्ध पक्ष ने प्राधिकारी द्वारा अग्रेषित प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है ।

(घ) चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास के विचार

4. चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है ।

ड. अन्य मुद्दें

5. आयातकों के विचार

आयातकों में से एक आयातक मैसर्स वेटकेयर आर्गेनिक्स लि., बंगलौर ने सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात् आपने लिखित अनुरोध में कहा है कि:-

(I) मैसर्स वेटकेयर आर्गेनिक्स लि., बंगलौर ने प्राधिकारी को प्रस्तुत अपने उत्तर में पूर्ववर्ती जांच की कार्रवाई के दौरान भेजे गए दिनांक 23.12.96 के पत्र सं. वीएपीएल; डीएएएस:96 के अपने पत्र कि ओर ध्यान आकर्षिक किया है । उन्होंने, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार उल्लेख किया है:-

(क) कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से निर्यातोन्मुख उद्योगों को गंभीर क्षति पहुँचेगी और उन्होंने मूल जांच के दौरान पहले किए गए अनुरोधों को दोहराया है ।

(ख) स्थानीय बिक्रियों और ई.ओ.यू. से 8 हाईड्रोक्सी क्वीनोलीन की मांग काफी अधिक है । पिछले 2 वर्षों के लिए 8 हाईड्रोक्सी क्वीनोलीन का उत्पादन, घरेलू बाजार में खपत और उसका आयात तथा 8 हाईड्रोक्सी क्वीनोलीन से उत्पादित वस्तुओं के निर्यात से संबंधित आंकड़ें (बाजार स्रोतों से उपलब्ध सूचना के अनुसार) नीचे दिए गए हैं -

	1998-99	1999-2000
स्थानीय विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित 8 एचक्यू की कुल मात्रा	8,300 किग्रा.	4,500 किग्रा.
घरेलू बाजार में खपत की गई कुल मात्रा	15,800 किग्रा.	20,900 किग्रा.
आयातित 8 एचक्यू की कुल मात्रा	34,375 किग्रा.	85,000 किग्रा.
8 एचक्यू से निर्मित 8 एचक्यू का कुल निर्यात	1,87,500किग्रा.	1,01,700 किग्रा.

(ग) भारत में 8 एचक्यू के एक मात्र उत्पादक ने वर्ष 98-99 और 99-2000 में क्रमशः 8.3 टन और 4.5 टन का उत्पादन किया था और उसके वर्ष 1999 के मध्य से उत्पादन करना बन्द कर दिया है ।

(घ) उपरोक्त आंकड़ों से इस तथ्य के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि मांग की तुलना मे घरेलू उत्पादन नगण्य रहा था जिससे आयात करना आवश्यक हो गया था । इसलिए स्थानीय उद्योग को क्षति पहुँचने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(च) क्षति एवं कारणात्मक संबंध

6. घरेलू उद्योग से कोई उत्तर न मिलने की स्थिति में प्राधिकारी का मानना है कि भारत में घरेलू उद्योग पर संबद्ध देश से हुए 8 एचक्यू के आयातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देश से जाँच अवधि के दौरान हुए पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई किसी क्षति को प्रमाणित नहीं कर सके । इन्हीं कारण से प्राधिकारी घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत कर निर्धारण नहीं कर सकें ।

(छ) अंतिम निष्कर्ष

7. उपरोक्त से प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि घरेलू उद्योग समेत हितबद्ध पक्षों से किसी भी पक्ष का उत्तर न मिलने की स्थिति में निर्णायक मापदण्ड अर्थात् पाटन, वास्तविक क्षति और दोनों के बीच कारणात्मक संबंध की पुष्टि नहीं की जा सकती । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी की यह राय है कि संबद्ध देश से 8 एचक्यू के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचते रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है । इसलिए, प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य से 8 एचक्यू के आयात पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने का प्रस्ताव करते हैं ।

8. इस प्रकार उपरोक्त पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि

- संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 8 एचक्यू से भारत में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं पहुँची है ।
- जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से 8 एचक्यू के आयातों से घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं पहुची है ।
- सं[illegible] देश से 8 एच[illegible] गया [illegible]

9. अतः प्राधिकारी यह सिफारिश करते हैं कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क वर्गीकरण 2933.40.04 के अंतर्गत आने वाले चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 8 एचक्यू के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाय ।

10. इस आदेश के खिलाफ कोई अपील उपरोक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जा सकती है ।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2000

Final Findings

Subject : Mid-Term Review of Anti Dumping Duty concerning Imports of 8 Hydroxy Quinoline (8 HQ) from People' Republic of China—Final Findings.

ADD/IW/36/95-96.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof :

A. PROCEDURE

1. The Procedure described below has been followed:

i) The Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) issued a public notice vide Notification No. ADD/IW/36/95-96 dated the 30 th November, 1999, initiating mid -term review of definitive Anti-Dumping Duty recommended on imports of 8 Hydroxy Quinoline originating in or exported from People' Republic of China (hereinafter also referred to as the subject country) vide Notification No. ADD/IW/36/95-96 dated the 28TH February, 1997 and definitive Anti-Dumping Duty imposed by the Central Government vide Notification No.27 dated the1st April, 1997.

ii) The investigations concluded by the Authority vide Notification No. ADD/IW/36/95-96 dated the 28th February, 1997 have been referred to as "the previous investigation".

iii) The Public notice dated 30th November, 1999 was published in the Gazette of India. Extraordinary, initiating mid -term review of Anti-Dumping Duty concerning imports of 8 Hydroxy Quinoline, classified under Customs sub-heading No.2933.40.04 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975.

iv) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known Exporters and industry Associations (whose details were made available by M/s. West Bengal Pharmaceutical Phytochemical Development Corporation Ltd., Calcutta, the Domestic Industry in the previous investigation) and gave them an opportunity to make their views ...

v) The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers and consumers of 8 Hydroxy Quinoline in India (whose details were made available by M/s. West Bengal Pharmaceutical Phytochemical Development Corporation Ltd, Calcutta,) and provided them an opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of issue of latter.

vi) Request was made to the Central Board of Excise and Customs (CBEC) and Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Calcutta to arrange details of imports of 8 Hydroxy Quinoline in India during the period of review.

vii) The Authority sent a questionnaire, to the following known manufacturers/exporters of 8 Hydroxy Quinoline in the subject country, in accordance with the Rule 6(4):-

- M/s. Sinochem Jiangsu Import & Export Corporation, Shonghy, M.H.Road, Nianging, China.
- M/s.China National Chemical Construction Jiangsh Company, Beiging Road Nainging,China

viii) The Embassy of People' Republic of China in New Delhi was informed about the initiation of the review in accordance with rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter and questionnaire sent to the exporters was also sent to the Embassy, alongwith a list of known exporters/producers. None of the exporters/producers, however, filed any response.

ix) A questionnaire was sent to the following importers and / or consumers of 8 Hydroxy Quinoline in India calling for necessary information in accordance with rule 6(4):-

- M/s,Bajaj Health Care Pvt. Ltd.,
  14/15 Faie E-Edros, 1st Floor 371 / 373
  Narshi Natha Street, Mumbai -400009.

- M/s G. Amphray Laboratories
  Sambava Chambers
  4th Floor, SIE P.M. Road, Mumbai-400001.

- M/s Salvi Chemical Industries
  108-B Ashok Tower
  Kulupwadi Road, Borivili (E), Mumbai-400066.

- M/s Vetcare Alitech Pvt.Ltd
  No.90, 3rd Cross, 2nd Main Ganganagar Layout,
  Banglore-560032.

x) A questionnaire was sent to M/s West Bengal Pharmaceutical Phytochemical Development Corporation Ltd, Calcutta,(the domestic Industry in the instant case) calling for necessary information. M/s West Bengal Pharmaceutical Phytochemical Development Corporation Ltd, Calcutta, however, failed to file its response.

xi) The Authority held a public hearing on 8.8.2000 to hear the views orally, which was attended only by M/s Vetcare Organics Limited, Banglore. In accordance with Rule 6 (6) the parties who attended the public hearing were requested to file written submissions of the views expressed orally. Written submissions have been received from M/s. Vetcare Organics Limited, Banglore.

xii) Investigation was carried out for the period 1st April, 1999 to 31st December, 1999. .

xiii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to all known interested parties and comments received on the same have also been duly considered in these findings.

B. **PRODUCT UNDER CONSIDERATION, DOMESTIC INDUSTRY AND LIKE ARTICLES**:

2. The Final Findings notified in the previous investigation with regard to the product under consideration, domestic industry and Like Articles remain unchanged.

C. **DUMPING, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE, DUMPING MARGIN LANDED VALUE etc**:

3. (i) The Authority sent exporters questionnaire to known exporters of 8 Hydroxy Quinoline for the purpose of determination of Normal Value in accordance with Section 9A(1) c. However, none of the exporters responded to the Authority. The Authority, therefore, holds that the exporters from the subject countries have not co-operated with the Authority as envisaged under the Rules. The Authority also holds that the primary responsibility to establish Normal Value of 8 Hydroxy Quinoline in People' Republic of China rests with the exporters / producers, who have failed to co-operate with the Authority.

(ii) The Authority also sent importers questionnaire to known Importers of 8 Hydroxy Quinoline. However, none of the Importers responded to the Authority. Accordingly, the Authority holds that Importers of 8 Hydroxy Quinoline have also not co-operated with the Authority and have not furnished any information.

(iii) M/s West Bengal Pharmaceutical Phytochemical Development Corporation Ltd, Calcutta, the Domestic Industry also did not file any response to the questionnaire sent to them.

(iv) Thus, none of the interested parties responded to the questionnaire forwarded by the Authority.

D. **VIEWS OF EMBASSY OF THE PEOPLE' REPUBLIC OF CHINA**:

4. Embassy of the People' Republic of China have not submitted any response.

E **OTHER ISSUES**:

5. **VIEWS OF IMPROTERS**:

M/s., Vetcare Organics Ltd, Banglore, one of the importers, in their written submissions subsequent to the Public Hearing has submitted that: -

(i) M/s Vetcare Organics Limited, Banglore has in their submission to the Authority drawn attention to their letter No. VAPL: DAAS: 96 dated 23.12.96 sent during the course of the previous investigation. They have, *inter-alia*, stated as follows:

a) that imposing anti-dumping duty would cause severe injury to export oriented industries and have reiterated the submissions already made during the original investigation.

b) Demand for 8 Hydroxy Quinoline from local sales and EOUs is substantial. Data regarding the production , consumption in the domestic market, imports of 8 Hydroxy Quinoline and export of items produced from 8 Hydroxy Quinoline for the past 2 years has been furnished (as per information available from market sources), which is as follows:

	1998-99	1999-2000
Total qty. of 8- HQ produced by local manufacturers	8,300 Kg.	4,500 Kg.
Total qty. consumed in domestic market	15,800 Kg.	20,900 Kg.
Total qty. of 8- HQ imported	34,375 Kg.	85,000 Kg.
Total exports of items made from 8- HQ	1,87,500 Kg.	1,01,700 Kg.

c) the sole producer of 8- HQ in India had produced about 8.3 tons and 4.5 tons in 98-99 and 99-2000 respectively and has stopped production since mid 1999.

d) The above statistics are clearly indicative of the fact that domestic production was negligible as compared to the demand, making imports inevitable. Therefore the question of injury caused to the local industry does not arise.

F. **INJURY AND CAUSAL LINK:**

6. In the absence of any response from the Domestic Industry, the Authority holds that there is no impact of imports of 8 Hydroxy Quinoline from subject country on the Domestic Industry in India. The Authority accordingly could not establish any injury to the Domestic Industry by the dumped imports during the POI from the subject country. For similar reasons, the Authority could not determine Non-Injurious Price for the Domestic Industry.

G. **FINAL FINDINGS:**

7. From the above, the Authority is led to the conclusion that in the absence of any response from any of the interested parties including the domestic industry, the critical parameters viz. the fact of dumping, material injury and the casual relationship between the two cannot be established. Keeping this in view, the Authority is of the opinion that cessation of existing Anti-Dumping Duty on imports of 8 Hydroxy Quinoline from the subject country, is not likely to lead to continuation or recurrence of injury to the Domestic Industry. Hence, the Authority proposes to discontinue the anti dumping duty on the import of 8-Hydoxy Quinoline form the People' Republic of China.

8. Thus, the Authority concludes, after considering the foregoing, that:

- 8 Hydroxy Quinoline originating in or exported from the subject country has not caused any injury to the domestic industry of India during POI.
- The Domestic Industry has not suffered any material injury from imports of 8 Hydroxy Quinoline from the subject country during the POI.
- Cessation of existing Anti-Dumping Duty on imports of 8 Hydroxy Quinoline from the subject country is not likely to lead to continuation or recurrence of injury to the Domestic Industry.

9. The Authority, therefore, recommends that the Anti-Dumping Duty imposed on imports of 8 Hydroxy Quinoline originating in or exported from People' Republic of China, falling under Customs classification 29 3.40.04 of Customs Tariff Act, 1975 be discontinued.

10. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054